

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday 15<sup>th</sup> January 2008/Pausa 25, 1929

No. 232

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, North East Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Veer Singh Dhingan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act from Tahirpur Sarai, Police Station Seema Puri, Delhi at 1.10 P.M. on 09.01.2008.

He was released at 1.30 P.M. from the same place on the same date."

Siddharath Rao  
Secretary

**दिल्ली विधान सभा सचिवालय**  
**समाचार भाग-2**

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
मंगलवार , 15 जनवरी 2008/ पौष 25, 1929 (शक)

संख्या-232

**विषय : सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई**

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, दिल्ली पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्व) दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि श्री वीर सिंह धींगान, माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत ताहिरपुर सराय क्षेत्र, पुलिस थाना सीमापुरी से दिनांक 09/01/2008 को दोपहर 1-10 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से दोपहर 1:30 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव  
सचिव